

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केशवराय पाटन जिला बून्दी (राज०)

दुर्गाशंकर मीना (RAS)

पीठासीन अधिकारी :-

121 / 2018

वाद पत्र संख्या :-

1. राधेश्याम आयु 34 साल आ० बरधा उर्फ बिरधीलाल जाति माली निवासी लाखेरी खुर्द तहसील केशवराय पाटन जिला बून्दी राज०

-वादी

बनाम

1. बरधा उर्फ बिरधीलाल आयु 74 साल आ० भोजा जाति माली निवासी लाखेरी खुर्द तहसील केशवराय पाटन जिला बून्दी राज०
2. परमानन्द आयु 42 साल आ० बरधा उर्फ बिरधीलाल जाति माली निवासी लाखेरी खुर्द तहसील केशवराय पाटन जिला बून्दी
3. हनुमान आयु 39 साल आ० बरधा उर्फ बिरधीलाल जाति माली निवासी लाखेरी खुर्द तहसील केशवराय पाटन जिला बून्दी राज०
4. सुरेश आयु 30 साल आ० बरधा उर्फ बिरधीलाल जाति माली निवासी लाखेरी खुर्द तहसील केशवराय पाटन जिला बून्दी राज०
5. राज०राजस्थान सरकार जर्गे तहसीलदार साहब केशवराय पाटन जिला बून्दी राज०

- प्रतिवादीगण

वाद :- अधिकार घोषणा, बंटवारा भूमि

अन्तर्गत धारा 88,89,53 राज० टि० एक्ट

उपस्थित :-


1. वादी की और से श्री चन्द्रशेखर नागर, एडवोकेट
2. प्रतिवादी की और से श्री जफर शरीफ अंसारी, एडवोकेट।

उपखण्ड अधिकारी
के. पाटन (बून्दी)

—: निर्णय :—

दिनांक -13.11.2019

1. वादी के द्वारा दिनांक 30.07.2018 को वाद अधिकार घोषणा व बंटवारा का पेश किया गया।
2. वाद पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि खाता संख्या नई 101 पुरानी 98 के ख.सं. 321 रकबा 0.14 है0, ख.सं. 322 रकबा 0.14 है0, ख.सं. 330 रकबा 0.15 है0, ख.सं. 429 रकबा 0.87 है0, ख.सं. 620 रकबा 0.37 है0, ख.सं. 657 रकबा 0.03 है0, ख.सं. 660 रकबा 0.03 है0, ख.सं. 662 रकबा 0.03 है0, ख.सं. 664 रकबा 0.02 है0, ख.सं. 808/297 रकबा 2.09 है0 कुल किता 10 कुल रकबा 3.87 है0 वाके ग्राम व माल लाखेरी खुर्द तहसील केशवराय पाटन जिला बून्दी राज. में विरिथित है। जिसके वर्तमान खातेदार प्रतिवादी सं. 1 है। उक्त वर्णित कृषि भूमि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 लगायत 4 की पैतृक कृषि भूमि है। इस कारण उक्त वर्णित कृषि भूमि में वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 लगायत 4 को कानूनी अधिकार प्राप्त है। मूल पुरुष भोजा है जिसकी मृत्यु हो चुकी है जिसके पुत्र बरधा उर्फ बिस्धीलाल प्रतिवादी सं. 1 है। जिसके 4 पुत्र कमशः राधेश्याम (वादी), परमानन्द (प्रतिवादी सं. 2), हनुमान (प्रतिवादी सं. 3), सुरेश (प्रतिवादी सं. 4) है। उक्त वर्णित कृषि भूमि में वादी का 1/5 हिस्सा व प्रतिवादी सं. 1 का 1/5, प्रतिवादी सं. 2 का 1/5 व प्रतिवादी सं. 3 का 1/5, प्रतिवादी सं. 4 का 1/5 हिस्सा निहीत है। उक्त वर्णित कृषि भूमि का पारिवारिक विभाजन आज से लगभग 12-13 वर्ष पूर्व वादी व प्रतिवादी सं. 1 लगायत 4 के मध्य हो चुका है एवं उसी विभाजन के अनुरूप वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 लगायत 4 काबिज काश्त करते चले आ रहे है। उक्त भूमि के खातेदार प्रतिवादी सं. 1 के खाते में दर्ज होने के कारण उक्त भूमि को रहन व बैचान करने पर आमादा है। अन्त में प्रार्थना की गई कि वादपत्र में वर्णित कृषि भूमि में वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 लगायत 4 के 1/5-1/5 हिस्से के अनुसार पृथक से बंटवारा कर राजस्व रिकार्ड में अंकित कर नक्शे में तरमीम करने का आदेश प्रदान करे।
3. वादी का वादपत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 लगायत 4 ने वादी के वादपत्र का इकबालिया जवाब पेश किया तथा वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 लगायत 4 की और से दिनांक 06.11.2019



उपखाण्ड अधिकारी
के. पाटन (बून्दी)

को राजीनामा पेश किया गया। प्रतिवादी सं. 5 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

4. बहस उभयपक्ष सुनी गई। उभयपक्षों के द्वारा प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 06.11.2019 को बाद जाँच तस्दीक किया गया। राजीनामा तथा इकबालिया जवाब के आधार पर वादी का वादपत्र स्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है।

-::निर्णय::-

परिणामस्वरूप वादी का वादपत्र राजीनामा अनुसार स्वीकार किया जाता है। खाता सं. 101 के खसरा सं. 429 रकबा 0.87 है० में से 0.22 है० सुरेश के सहारे, ख.सं. 808/297 रकबा 2.09 है० में से 0.52 है० सुरेश के सहारे की कुल किता 2 कुल रकबा 0.74 है० वाके ग्राम व माल लाखेरी खुर्द तहसील के० पाटन जिला बून्दी राज०, वादी राधेश्याम आ० बरधा उर्फ बिरधीलाल जाति माली निवासी लाखेरी खुर्द तहसील के० पाटन के हिस्से में रहेगी। खाता सं. 101 के खसरा सं. 321 रकबा 0.14 है० सम्पूर्ण, ख.सं. 322 रकबा 0.14 है० सम्पूर्ण, ख.सं. 330 रकबा 0.15 सम्पूर्ण, ख.सं. 620 रकबा 0.37 है० सम्पूर्ण, ख. सं. 657 रकबा 0.03 सम्पूर्ण, ख.सं. 660 रकबा 0.03 है० सम्पूर्ण, ख.सं. 662 रकबा 0.03 सम्पूर्ण, ख.सं. 664 रकबा 0.02 है० सम्पूर्ण, कुल किता 8 कुल रकबा 0.91 है० वाके ग्राम व माल लाखेरी खुर्द तहसील के० पाटन जिला बून्दी राज०, प्रतिवादी सं. 1 बरधा उर्फ बिरधीलाल आ० भोजा जाति माली निवासी लाखेरी खुर्द तहसील केशवराय पाटन जिला बून्दी राज० के हिस्से में रहेगी। खाता सं. 101 के खसरा सं. 229 रकबा 0.87 है० में से 0.21 है० दक्षिण दिशा की, ख.सं. 808/297 रकबा 2.09 है० में से 0.53 है० पूर्व दिशा की कुल किता 2 कुल रकबा 0.74 है० वाके ग्राम व माल लाखेरी खुर्द तहसील के० पाटन जिला बून्दी राज० प्रतिवादी सं. 2 परमानन्द आ० बरधा उर्फ बिरधीलाल जाति माली निवासी लाखेरी खुर्द तहसील केशवराय पाटन जिला बून्दी के हिस्से में रहेगी, खाता संख्या 101 की ख.सं. 429 रकबा 0.87 है० में से 0.22 है० राधेश्याम के सहारे, ख.सं. 808/297 रकबा 2.09 है० में से 0.52 है० राधेश्याम के सहारे कुल किता 2 कुल रकबा 0.74 है० वाके ग्राम व माल लाखेरी खुर्द तहसील के० पाटन जिला बून्दी राज० प्रतिवादी संख्या 3 हनुमान आ० बरधा


उपखण्ड अधिकारी
के. पाटन (बून्दी)

उर्फ बिरधीलाल जाति माली निवासी लाखेरी खुर्द तहसील केशवराय पाटन जिला बून्दी राज० के हिस्से में रहेगी, खाता सं. 101 की ख.सं. 429 रकबा 0.87 है० में से रकबा 0.22 है० उत्तर दिशा की, ख.सं. 808/297 रकबा 2.09 है० में से 0.52 है० पश्चिम दिशा की कुल किता 2 कुल रकबा 0.74 है० प्रतिवादी संख्या 4 सुरेश आ० बरधा उर्फ बिरधीलाल जाति माली निवासी लाखेरी खुर्द तहसील केशवराय पाटन जिला बून्दी राज० के हिस्से में रहेगी तथा कृषि भूमि पर रहन बदस्तुर रहेगा। तहसीलदार केशवरायपाटन को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। उक्तानुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 13.11.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।



13/11/19
(दुर्गाशंकर मीना)
उपखण्ड अधिकारी
केशवरायपाटन

डिकरी व मुकदमे इब्तादाई
(आर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी)
(Civil Proceedure Code Appendix 'd'-1)

अज अदालत
उपखण्ड अधिकारी मुकाम के०पाटन

इजलास - दुर्गाशंकर मीना
आर.ए.एस.

राधेश्याम

V/S


बरधा उर्फ बिरधीलाल वगै०

वाद- अधिकार घोषणा व बंटवारा भूमि

मुकदमा नम्बर :: 121/2018

वादी की ओर से श्री चन्द्रशेखर नागर, अधिवक्ता व प्रतिवादी की ओर से श्री जफर शरीफ की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 13.11.2019 को हुक्म दिया जाता है व वाद निम्नानुसार डिक्री किया जाता है कि-

"वादी का वादपत्र राजीनामा अनुसार स्वीकार किया जाता है। खाता सं. 101 के खसरा सं. 429 रकबा 0.87 है० में से 0.22 है० सुरेश के सहारे, ख.सं. 808/297 रकबा 2.09 है० में से 0.52 है० सुरेश के सहारे की कुल किता 2 कुल रकबा 0.74 है० वाके ग्राम व माल लाखेरी खुर्द तहसील के० पाटन जिला बून्दी राज०, वादी राधेश्याम आ० बरधा उर्फ बिरधीलाल जाति माली निवासी लाखेरी खुर्द तहसील के० पाटन के हिस्से में रहेगी। खाता सं. 101 के खसरा सं. 321 रकबा 0.14 है० सम्पूर्ण, ख.सं. 322 रकबा 0.14 है० सम्पूर्ण, ख.सं. 330 रकबा 0.15 सम्पूर्ण, ख.सं. 620 रकबा 0.37 है० सम्पूर्ण, ख.सं. 657 रकबा 0.03 सम्पूर्ण, ख.सं. 660 रकबा 0.03 है० सम्पूर्ण, ख.सं. 662 रकबा 0.03 सम्पूर्ण, ख.सं. 664 रकबा 0.02 है० सम्पूर्ण, कुल किता 8 कुल रकबा 0.91 है० वाके ग्राम व माल लाखेरी खुर्द तहसील के० पाटन जिला बून्दी राज०, प्रतिवादी सं. 1 बरधा उर्फ बिरधीलाल आ० भोजा जाति माली निवासी लाखेरी खुर्द तहसील केशवराय पाटन जिला बून्दी राज० के हिस्से में रहेगी। खाता सं. 101 के खसरा सं. 229 रकबा 0.87 है० में से 0.21 है० दक्षिण दिशा की, ख.सं. 808/297 रकबा 2.09 है० में से 0.53 है० पूर्व दिशा की कुल किता 2 कुल रकबा 0.74 है० वाके ग्राम व माल लाखेरी खुर्द तहसील के० पाटन जिला बून्दी राज० प्रतिवादी सं. 2 परमानन्द आ० बरधा उर्फ बिरधीलाल जाति माली निवासी लाखेरी खुर्द तहसील केशवराय पाटन जिला बून्दी के हिस्से में रहेगी, खाता संख्या 101 की ख.सं. 429 रकबा 0.87 है० में से 0.22 है० राधेश्याम के सहारे, ख.सं. 808/297 रकबा 2.09 है० में से 0.52 है० राधेश्याम के सहारे कुल किता 2 कुल रकबा 0.74 है० वाके ग्राम व माल लाखेरी खुर्द तहसील के० पाटन जिला बून्दी राज० प्रतिवादी संख्या 3 हनुमान आ० बरधा उर्फ बिरधीलाल जाति माली निवासी लाखेरी खुर्द तहसील केशवराय पाटन जिला बून्दी राज० के हिस्से में


उपखण्ड अधिकारी
के. पाटन (बून्दी)

रहेगी, खाता सं. 101 की ख.सं. 429 रकबा 0.87 है० में से रकबा 0.22 है० उत्तर दिशा की, ख.सं. 808/297 रकबा 2.09 है० में से 0.52 है० पश्चिम दिशा की कुल किता 2 कुल रकबा 0.74 है० प्रतिवादी संख्या 4 सुरेश आ० बरधा उर्फ बिरधीलाल जाति माली निवासी लाखेरी खुर्द तहसील केशवराय पाटन जिला बून्दी राज० के हिस्से में रहेगी तथा कृषि भूमि पर रहन बदस्तुर रहेगा। तहसीलदार केशवरायपाटन को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे।”

नीजग..... मुबलिकग..... बाबतग..... खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व ारहग..... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलवादी तकग..... को अदा करे। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज दिनांक 13.11.2019 को जारी की गई।



(दुर्गाशंकर मीना)
उपखण्ड अधिकारी
केशवरायपाटन

